

रेल, ईंधन सोशल मीडिया से जुड़े बदलाव

आईआरसीटीसी ने नई टिकट बुकिंग वेबसाइट का बीटा संस्करण लॉन्च किया

नई दिल्ली, 17 जुलाई देश में रेल यात्रियों, ईंधन निर्यात और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं. भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए आईआरसीटीसी की नई टिकट बुकिंग वेबसाइट का बीटा संस्करण लॉन्च किया है. वहीं केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया है, जबकि पेट्रोल पर शुल्क घटाया गया है. दूसरी ओर, ईस्टग्राम पर फर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक के जरिए कंटेंट क्रिएटर्स को निशाना बनाए जाने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. भारतीय



रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा को और बेहतर बनाने के लिए आईआरसीटीसी ने अपनी नई वेबसाइट का बीटा संस्करण शुरू कर दिया है. नई वेबसाइट में टिकट बुकिंग प्रक्रिया को पहले से अधिक तेज और सरल बनाने का दावा किया गया है. इसमें यात्रियों को एक ही स्क्रीन पर सभी श्रेणियों में

उपलब्ध सीटों की जानकारी मिलेगी. इसके अलावा तेज भुगतान सुविधा, बेहतर सर्च विकल्प और कैप्चा से राहत जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं. फिलहाल वेबसाइट का बीटा संस्करण जारी किया गया है और यात्रियों से मिलने वाले सुझावों के आधार पर इसमें आगे सुधार किए जाएंगे.

सरकार के अनुसार, यह फैसला घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और आपूर्ति संतुलित रखने के उद्देश्य से लिया गया है. नई दरें 16 जुलाई से लागू हो चुकी हैं और, सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर कॉपीराइट प्रणाली के कश्चित् दुरुपयोग का मामला भी चर्चा में है. आरोप है कि कुछ लोग पोस्ट संपादन (एडिट) सुविधा का इस्तेमाल कर अपनी पोस्ट की तारीख पीछे की दिखा रहे हैं और फिर मूल कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स के खिलाफ फर्जी कॉपीराइट शिकायत दर्ज कर रहे हैं.

दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की है.



चीन का नया एआई मॉडल किमी के-3 लॉन्च

मॉडल में 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर होने का दावा

10 लाख टोकन की कॉन्टेन्स्ट क्षमता दी गई

नई दिल्ली, 17 जुलाई. चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी मूनशॉर्ट एआई ने अपना नया एआई मॉडल किमी के-3 लॉन्च किया है. कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा ओपन मॉडल है जिसमें 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर हैं.

यह मॉडल कोडिंग, रिसर्च, डेटा विश्लेषण और जटिल तर्क वाले कामों को तेजी से पूरा करने में सक्षम बताया जा रहा है. मूनशॉर्ट एआई के अनुसार, इसमें इसानों जैसी देखने और समझने की क्षमता भी दी गई है. किमी के-3 को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा

इसके विशाल आकार और क्षमता को लेकर हो रही है. एआई मॉडल में पैरामीटर को उसकी सीख और अनुभव की क्षमता के रूप में समझा जाता है, जितने ज्यादा पैरामीटर होते हैं, मॉडल उतनी ही जटिल जानकारीयों को समझने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम माना जाता है. मूनशॉर्ट एआई के अनुसार, किमी के-3 में 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर हैं, जो इसे लगभग 3 ट्रिलियन श्रेणी का मॉडल बनाते हैं. एआई क्षेत्र में इतने बड़े मॉडल अब तक कुछ चुनिंदा कंपनियों के पास ही रहे हैं. कंपनी का दावा है कि यह मॉडल बड़े और मुश्किल सवालों को समझने तथा उनका समाधान निकालने में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है. इस मॉडल में 10 लाख टोकन की कॉन्टेन्स्ट क्षमता दी गई है.

CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED

A Subsidiary of Weaver Services Private Limited

All loans are processed and serviced by Centrum Housing Finance Limited ("CHFL")

रजिस्टर्ड ऑफिस :

यूनिट नंबर 301, तीसरी मंजिल, हरभजन कर्मशायल प्रिमाइसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, CST रोड, BPCL पेट्रोल पंप के सामने, कलिंगा, सातक्रूज (पूर्व), मुंबई-400098. CIN: U65922MH2016PLC273826

कच्चा नोटिस				
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)				
चूंकि, नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, 'सिम्बोरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिम्बोरिटी इंटेरेस्ट एक्ट 2002' के तहत 'सेटम सहायिंग फाइनेंस लिमिटेड' के अधिकृत अधिकारी हैं और 'सिम्बोरिटी इंटेरेस्ट (एनफोर्समेंट) क़ानून, 2002' के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13 (12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी के अधिकृत अधिकारी ने नीचे बताए गए उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें नोटिस में बताई गई बकाया राशि को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्याज, शुल्क, लागत आदि के साथ नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। उधारकर्ता द्वारा राशि न चुका पाने के कारण, उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी ने उक्त एक्ट के सेक्शन 13(4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नीचे बताई गई प्राप्ति का कच्चा ले लिया है। उधारकर्ता और आम जनता को ख़ास तौर पर चेतावनी दी जाती है कि वे इस प्राप्ति का नोटीस-लेन न करें, प्राप्ति से जुड़ा कोई भी लेन-देन 'सेटम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के उस चार्ज (दावे) के अधीन होगा जिसमें बकाया राशि के साथ-साथ कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्याज, पेनल्टी ब्याज, शुल्क, लागत अदि शामिल हैं। उधारकर्ता का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो सुरक्षित एक्टर्स (संपत्ति) को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के बारे में हैं।				
स. क्र.	ऋण खाता सं. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम/	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग की तिथि नोटिस और कुल बकाया राशि (₹.)	कच्चा लेने की तिथि
1	BHOVD2401515965 —कमलेश राय क्रांति बाई राय	अचल संपत्ति के अधिकार और उसका हिस्सा, जिसमें सर्वे नं. 303/2 /2/2/1 के अंतर्गत आने वाला एक मौजूदा विहायरी मकान शामिल है। इसका क्षेत्रफल 10880 वर्ग फुट है और यह वाई नं. 13, छत्रपति शिवाजी वाई, गैरतनगर, पीएच नं. 30, नाँव और तहसील - गैरतनगर, जिला - रायसेन-464884, म.प्र. में स्थित है। सीमाएँ- पूर्व : रोश जोशी का घर, पश्चिम : शिवजान कुशवाह का घर, उत्तर : 5 फीट कॉलोनी रोड, दक्षिण : ब्रजेश साहू का घर।	27-जनवरी-26/ ₹. 15,55,329/- (पंद्रह लाख पचास हजार तीन सौ उन्तीस मात्र)	03-07-2026
1	BHOVD23010376 —नीरज शर्मा मनोरा बाई	अचल संपत्ति के अधिकार और उसका हिस्सा पटवारी हल्कान नंबर 30, क्षेत्रफल 800 वर्ग फुट, सर्वे नंबर 429/14, वाई नंबर 11, महारा फुले वाई, तहसील गैरतनगर, जिला रायसेन-464884, मध्य प्रदेश। सीमाएँ- पूर्व : -नीना जी की सीमाएं पश्चिम - विक्रता का प्लॉट उत्तर - 20 फीट चौड़ी सड़क दक्षिण - महेंद्र राजपूत का घर	30 जुलाई 2025/ ₹. 8,96,636/- (आठ लाख छियासवे हजार छह सौ छत्तीस मात्र)	13-07-2026
दिनांक : 18.07.2026, स्थान: मध्यप्रदेश				
हस्ताक्षर/-, अधिकृत अधिकारी, सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से				

SMFG Grihashakti

कोर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंदिरा बेंकेरी, बेंकेरी रोड, ब्रॉड कुलू कॉलोनी, बार्दा (ई), मुंबई - 400051

पंजीकृत कार्यालय: कॉम्पानि ऑफ़ीस, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, वाटेंड एम्बुलेंसी रोड, चेंबर, चेन्नई - 600116, टीएन

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

अचल संपत्ति के अधिकार का नोटिस (पारिशिष्ट IV) नियम 8(1)

चूंकि अधोहस्ताक्षरी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी [राष्ट्रीय आवास बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली) के साथ विधिवत पंजीकृत] (जिसे आगे "एसएमएफ़ाफ़सी" कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्थियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित विधिकृत मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें आपसे, उधारकर्ताओं के रूप में, (नीचे उल्लिखित नाम) उक्त सूचना में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज की राशि, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ, नीचे वर्णित संपत्ति का कच्चा ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को, एतद्वारा उक्त संपत्ति से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन "एसएमएफ़ाफ़सी" के प्रचार के अधीन होगा यहाँ उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए।

स. क्र.	उधारकर्ता (एस)/ गारंटर (एस) का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	डिमांड नोटिस दिनांक और तिथि	कच्चा की तिथि
1	लैन- 614839512094231 1.अंसार अहमद 2.रानी कुरेशी 3.फरजाखान 4.इकरार खान	प्राप्ति की जानकारी इस प्रकार है: यह प्लॉट नं. 27, सर्वे नंबर 1000/6, वाई नं.10, यादव साहब वाली पश्चोपार्थ कॉलोनी, आनंद मोहल्ला, अशोक नगर, तहसील और जिला अशोक नगर, म.प्र. में स्थित है। प्राप्ति का कुल परिचा 1,575 चव्वायस रोड, अशोक नगर, जिला अशोक नगर, म.प्र. में स्थित है। प्राप्ति का कुल परिचा 1,250 वर्ग फुट है। प्राप्ति को सीमाएं इस प्रकार हैं - पूर्व- प्लॉट नंबर A-17 (किसी अन्य पार्टी की प्राप्ति); पश्चिम: प्लॉट नंबर A-15 (किसी अन्य पार्टी की प्राप्ति); उत्तर: श्री राधा एवेन्यू कॉलोनी; दक्षिण: प्रस्तावित और काम रोड (चौड़ाई 20 फुट)।	13.04.2026 ₹. 51,58,134.70 (इक्कावन लाख अठ्ठावन हजार एक सौ चौतीस और सत्तर पैसे मात्र) 09.04.2026 तक	15.07.2026
1	लैन- 614839212106476 1.दिनेश कुमार कोरी 2.रेखा बाई कोरी	यह प्राप्ति पीएच नंबर 27, सर्वे नंबर 904/2/6 और सर्वे नंबर 905/Min का हिस्सा है। यह प्लॉट नंबर A-16, वाई नंबर 08, राधा एवेन्यू कॉलोनी के पास, पश्चिम कॉलोनी, नवीन बांधपारा रोड, अशोक नगर, जिला अशोक नगर, म.प्र. में स्थित है। प्राप्ति का कुल परिचा 1,250 वर्ग फुट है। प्राप्ति को सीमाएं इस प्रकार हैं - पूर्व- प्लॉट नंबर A-17 (किसी अन्य पार्टी की प्राप्ति); पश्चिम: प्लॉट नंबर A-15 (किसी अन्य पार्टी की प्राप्ति); उत्तर: श्री राधा एवेन्यू कॉलोनी; दक्षिण: प्रस्तावित और काम रोड (चौड़ाई 20 फुट)।	13.04.2026 ₹. 25,96,465.63 (पचास लाख छियासवे हजार चार सौ पैसठ और तिसठ पैसे मात्र) ब्याज सहित 09.04.2026 तक	15.07.2026

स्थान: अशोकनगर, मध्य प्रदेश
दिनांक: 15.07.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

यूपीआई पेमेंट पर लग सकता है शुल्क

यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लागू करने पर विचार

आम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों को मिल सकता है राहत

नई दिल्ली, 17 जुलाई. देश में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुके यूपीआई के जरिए भुगतान करना भविष्य में महंगा हो सकता है. केंद्र सरकार एक बार फिर यूपीआई लेनदेन पर मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने की संभावना पर विचार कर रही है. हालांकि प्रस्ताव के अनुसार इसका असर आम उपभोक्ताओं या छोटे दुकानदारों पर नहीं पड़ेगा. चर्चा है कि यह शुल्क केवल बड़े कारोबारियों और दो

मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट

भारतलब है कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 में यूपीआई और रूपेे आधारित भुगतान पर एमडीआर को पूरी तरह समाप्त कर दिया था. इसका उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और नकद लेनदेन पर निर्भरता कम करना था. इसके बाद यूपीआई का उपयोग तेजी से बढ़ा और यह देश का सबसे लोकप्रिय भुगतान माध्यम बन गया. बैंकों और डिजिटल भुगतान कंपनियों का कहना है कि बिना किसी शुल्क के लगातार बढ़ते डिजिटल लेनदेन को संचालित करना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है.

मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट

मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट

मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट

मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट

मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट

मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट

मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट

टेक महिंद्रा का मुनाफा बढ़कर 1,465 करोड़

मुंबई, 17 जुलाई सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी टेक महिंद्रा को मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 28.4 प्रतिशत बढ़कर 1,465 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. आलोच्य तिमाही में कंपनी का कुल राजस्व 17.7 फीसदी की वृद्धि के साथ 15,712 करोड़ रुपये रहा. परिचालन लाभ सालाना आधार पर 53.3 प्रतिशत बढ़ा और 2,264 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.कंपनी ने बताया कि तिमाही के दौरान उसके कर्मचारियों की संख्या घटकर 30 जून 2026 को 1,46,760 रह गयी. तिमाही के अंत में कंपनी के पास 9,695 करोड़ रुपये की नकदी थी.टेक महिंद्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक मोहित जोशी ने कहा कि यह लगातार तीसरी तिमाही है जिसमें कंपनी ने एक अरब डॉलर से अधिक के अनुबंध हासिल किये.

ईपीएफ नियमों में बड़ा बदलाव

पीएफ खाते में 25 प्रतिशत राशि रखना अनिवार्य

नौकरी छूटने पर पूरी निकासी के लिए 12 माह का इंतजार

नई दिल्ली, 17 जुलाई. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना-1952 की जगह नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना-2026 लागू करने का फैसला किया है. नई व्यवस्था के तहत पीएफ खाते से निकासी, न्यूनतम शेष राशि, नामित व्यक्ति को मिलने वाले लाभ और क्लेम निपटान से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किया गया है.

इन बदलावों का असर देश के करोड़ों ईपीएफ अंशधारकों पर पड़ेगा.नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना-2026 के तहत पहली



बार न्यूनतम शेष राशि का प्रावधान किया गया है. अब कर्मचारी आंशिक निकासी के दौरान अपने पीएफ खाते की पूरी राशि नहीं निकाल सकेंगे. नियमों के अनुसार कुल जमा राशि का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा खाते में रखना अनिवार्य होगा. शेष 75 प्रतिशत राशि को पात्र सदस्य शेष राशि माना जाएगा, जिसे निर्धारित नियमों के अनुसार निकाला जा सकेगा. इस बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों की

सेवानिवृत्ति बचत को सुरक्षित रखना है. नौकरी छूटने या नौकरी छोड़ने की स्थिति में भी निकासी के नियम सख्त किए गए हैं. पहले कर्मचारी दो महीने बेरोजगार रहने के बाद पूरा पीएफ निकाल सकते थे, लेकिन अब इसके लिए 12 महीने तक इंतजार करना होगा. वहीं कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पूर्ण निकासी की प्रतीक्षा अवधि भी बढ़ाकर x6 महीने कर दी गई है.

यूरी फेडकिव बने मुंबई में नए अमेरिकी कॉन्सल जनरल



मुंबई, 17 जुलाई यूरी आर. फेडकिव ने भारत के मुंबई स्थित नए अमेरिकी कॉन्सल जनरल (सीजी) के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है. उन्होंने 7 जुलाई 2026 को यह जिम्मेदारी ग्रहण की.

मुंबई आने से पहले फेडकिव ने स्विट्जरलैंड के बर्न में अमेरिकी मिशन में राजनीतिक-आर्थिक मामलों के कार्डस्टर और लंबे समय तक कार्यवाहक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के रूप में सेवाएं दीं. इस भूमिका के

दौरान उन्होंने स्विस् परिसंघ और लिक्टेन्स्टीन की रियासत के साथ अमेरिका के संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों को संभाला. फेडकिव के पास अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का लंबा अनुभव है और वे इससे पहले कई देशों में अमेरिकी दूतावासों में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. उनकी पिछली राजनयिक नियुक्तियों में यूक्रेन, पोलैंड, इराक, स्लोवेनिया और जापान स्थित अमेरिकी दूतावास शामिल हैं. इन देशों में उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, राजनीतिक-सैन्य, कानून प्रवर्तन, परमाणु अप्रसार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दों पर काम किया.

एनएसई शुरू करेगा निफ्टी एफपीआई इंडेक्स डेरिवेटिव्स

मुंबई, 17 जुलाई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स (निफ्टीएफपीआई) पर डेरिवेटिव्स शुरू करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (सेबी) से मंजूरी मिल गई है।

एनएसई की योजना 12 अगस्त, 2026 से इफपीटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में इन कॉन्ट्रैक्ट्स की शुरुआत करने की है। इसमें लगातार तीन महीने की अवधि वाले इंडेक्स प्यूअर्स और इंडेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स उपलब्ध होंगे। इनका सेटलमेंट नकद (कैश) में होगा और हर महीने के आखिरी (फेब्रुअरी, 2022 और बेस वैल्यू 1000 तय की गई थी। इंडेक्स में कंपनियों का चयन फारिन इन्वेस्टिबल फ्री-फ्लोट मार्केट के आधार पर किया जाता है और हर तीन महीने में इसकी समीक्षा कर जरूरी बदलाव किए जाते हैं। इस मौके पर एनएसई के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर राम कृष्ण ने कहा, 'निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स पर डेरिवेटिव्स शुरू होने से हमारे मौजूदा इंडेक्स डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो को और मजबूती मिलेगी।

इस इंडेक्स की शुरुआत 16 अगस्त, 2025 को की गई थी। इसकी बेस डेट 3 अक्टूबर, 2022 और बेस वैल्यू 1000 तय की गई थी। इंडेक्स में कंपनियों का चयन फारिन इन्वेस्टिबल फ्री-फ्लोट का आधार पर किया जाता है और हर तीन महीने में इसकी समीक्षा कर जरूरी बदलाव किए जाते हैं। इस मौके पर एनएसई के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर राम कृष्ण ने कहा, 'निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स पर डेरिवेटिव्स शुरू होने से हमारे मौजूदा इंडेक्स डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो को और मजबूती मिलेगी।

इस इंडेक्स की शुरुआत 16 अगस्त, 2025 को की गई थी। इसकी बेस डेट 3 अक्टूबर, 2022 और बेस वैल्यू 1000 तय की गई थी। इंडेक्स में कंपनियों का चयन फारिन इन्वेस्टिबल फ्री-फ्लोट का आधार पर किया जाता है और हर तीन महीने में इसकी समीक्षा कर जरूरी बदलाव किए जाते हैं। इस मौके पर एनएसई के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर राम कृष्ण ने कहा, 'निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स पर डेरिवेटिव्स शुरू होने से हमारे मौजूदा इंडेक्स डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो को और मजबूती मिलेगी।

यूरोपीय संघ ने चीन की चावल के आटे की खेप लौटाई

नई दिल्ली. यूरोपीय संघ ने चीन से आयात किए गए चावल के आटे की एक खेप को जेनेटिक रूप से संशोधित जीव के अंश मिलने के बाद अस्वीकार कर वापस लौटा दिया है. यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि चीन पहले इसी तरह के कारणों का हवाला देकर भारतीय चावल की कई खेपों को स्वीकार करने से इनकार करता रहा है. यूरोपीय संघ की इस कार्रवाई को चीन के खाद्य निर्यात के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. यूरोपीय संघ की खाद्य एवं चारा त्वरित चेतावनी प्रणाली (आरएसएसएफएफ) ** के अनुसार, इस सप्ताह चीन से भेजे गए चावल के आटे की एक खेप में **जेनेटिक रूप से संशोधित जीव (जीएमओ) ** के अंश पाए गए.

CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED

A Subsidiary of Weaver Services Private Limited

All loans are processed and serviced by Centrum Housing Finance Limited ("CHFL")

रजिस्टर्ड ऑफिस :

यूनिट नंबर 301, तीसरी मंजिल, हरभजन कर्मशायल प्रिमाइसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, CST रोड, BPCL पेट्रोल पंप के सामने, कलिंगा, सातक्रूज (पूर्व), मुंबई-400098. CIN: U65922MH2016PLC273826

सेट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा, उधारकर्ता से बकाया राशि की वसूली के लिए 'सिम्बोरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिम्बोरिटी इंटेरेस्ट एक्ट, 2002' के तहत नीचे बताई गई सुरक्षित संपत्ति का कच्चा लेने के बाद, नीचे बताई गई अचल संपत्ति को खरीदने के लिए सीलबंद फॉर्मों में प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। यह संपत्ति भौतिक कब्जे में है और इसे 'जैसी है, जहाँ है' और 'जैसी है, वैसी है' के आधार पर बेचा जाएगा। इसका विवरण नीचे दिया गया है:-

स. क्र.	उधारकर्ता(ओं) /सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम/	कुल बकाया राशि आज की तारीख तक	अचल संपत्ति का विवरण	रिजर्व प्राइस (RP)	बयाना राशि जमा (EMD) 10%
1	BHOHB23013687/ तपन कुमार बेरा/ मृदुला बेरा	₹. 11,63,255/- (ग्यारह लाख तिसठ हजार दो सौ पचास मात्र) 06-02-2025 तक	अचल संपत्ति के अधिकार और हिस्से के तौर पर फ्लैट नंबर T-3, तीसरी मंजिल, साइज 500 वर्ग फुट, "महामाया अपार्टमेंट", प्लॉट नंबर 437 और 438, वाई नंबर 80, B-सेक्टर, सर्वेचर्च कॉलोनी, गाँव बंजरग्री, कोलार रोड (मेन रोड के अंदर), तहसील-कोलार, जिला- भोपाल-462042, मध्य प्रदेश। सीमाएँ- पूर्व- फ्लैट नंबर T-01 पश्चिम:- दूसरा प्लॉट उत्तर:- फ्लैट नंबर T-04 दक्षिण:- सड़क।	₹. 5,50,000 (पाँच लाख पचास हजार मात्र)	₹. 55,000/- (पचास हजार मात्र)

SARFAESI एक्ट, 2002 के तहत बिक्री का कानूनी नोटीस

1. नीलामी "जैसी है, जहाँ है" और "जैसी है, वैसी है" के आधार पर की जा रही है। 12. नीलामी बिक्री की विस्तृत शर्तें और नियम तब टेंडर फॉर्म में दिए गए हैं, जो ऊपर बताए गए ब्रांच ऑफिस में उपलब्ध हैं। 13. प्राप्ति के लिए बोली/ऑफर बिक्री की तारीख और नीलामी की तारीख 05.08.2026 है। यह ऊपर बताए गए ब्रांच ऑफिस से पते पर सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। 4. खरीदार को लागू स्ट्याम ड्यूटी/अतिरिक्त स्ट्याम ड्यूटी/ट्रंसफर चार्ज, फीस आदि का भुगतान करना होगा। साथ ही, नीलामी की गई प्राप्ति से जुड़े सभी कानूनी बकाया, देसा, रेट असेसमेंट, सरकारी और अर्ध-सरकारी टेक्स, TDS और अन्य चार्ज, फीस आदि का भुगतान भी खरीदार को ही करना होगा। ऊपर बताई गई गिरवी रखी प्राप्ति का कच्चा CHML के पास है। ऊपर बताई गई राशि को पूरा करने पर CHML सफल बोली लागू करने को शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देगा। बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति को प्राप्ति के टाइटल और उस पर किसी भी तरह के बोज़ (एन्कम्बेन्स) के बारे में अपनी स्वतंत्र जाँच करनी चाहिए और खुद संतुष्ट होना चाहिए। 5. प्राप्ति को अपने नाम पर ट्रान्सफर करने के सभी अन्य खर्च और कोई भी कानूनी बकाया सफल खरीदार को ही उठाना होगा। 6. सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले का चवन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को मंजूरी पर निर्भर करेगा। अधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी ऑफर/बोली को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। उनका फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा। 7. उधारकर्ता/गारंटर को SARFAESI एक्ट, 2002 के तहत 15 दिन का बिक्री नोटिस दिया जा रहा है। उन्हें नीलामी की तारीख से पहले ऊपर बताई गई रकम का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर अचल संपत्ति को नीलामी की जाएगी और अगर कोई बकाया राशि बचती है, तो उसे ब्याज और खर्चों के साथ वसूल जाएगा। अगर उधारकर्ता बिक्री की तारीख से पहले सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का पूरा बकाया चुका देता है, तो नीलामी रद्द की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए, ऊपर बताए गए ऑफिस स पते पर अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। संपर्क व्यक्ति - 1. वरुण कुमार शुक्ला - 9958641200 और बृजेश शुक्ला - 9451139900

स्थान : मध्य प्रदेश / दिनांक : 18.07.2026

हस्ताक्षर/-, सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी